न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/38/2023
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2023/278
प्रवेश तिथि 01.03.2023

अपीलार्थी — **बनाम** — **प्रत्यर्थी**

श्री पूरणसिंह पुत्र सुरजीतसिंह,
निवासी–ग्राम–खेडी, तह0 टपूकड़ा
जिला–अलवर हाल निवासी–बावला रोड, तावडू
जिला–मेवात नूँह (हरियाणा)–122107

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 04.04.2023

1. अपीलार्थी की ओर से रामअवतार सिंह चौहान, अधिवक्ता उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं और ना ही कोई जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत कार्यालय जिला कलक्टर, अलवर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांकः 05.04.2022 के माध्यम से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा द्वारा उनुवानी प्रकरण पांची देवी बनाम दातारसिंह अन्तर्गत आ.ख.नं. 252 वाके ग्राम–रामपुरा, तहसील–टपूकडा के संबंध में वर्ष 2014 में पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति/नकल चाही गई थी।
5. आवेदन में वांछित सूचना उपखण्ड अधिकारी, तिजारा से संबंधित होने के कारण, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा पत्र सं. 1051–52 दिनांकः **29.04.22** के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी, तिजारा को मूल आवेदन अन्तरित किया गया है।
6. उक्त आवेदन में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 07.02.2023 के माध्यम से इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
7. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर न्यायालय में जवाब नोटिस के साथ दिनांकः 14.03.2023 को उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया, इसी संबंध में ई–मेल के माध्यम से जवाब प्रेषण हेतु सूचित किया गया किन्तु प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आदिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
8. इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में दिनांकः 21.03.2023 को उपस्थित होकर एक अन्य प्रा0पत्र भी प्रस्तुत कर किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने बाबत अभिकथन प्रस्तुत किया है।
9. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गम्भीर नहीं है। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आवेदक के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 05.04.2022 के संबंध में अधिनियम की धारा 7(1) के तहत ना ही विनिर्दिष्ट समयावधि में सूचना उपलब्ध कराई गई और ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) क से 8(1) ञ में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी/विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत कराया गया अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कोई युक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में जारी नोटिस के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है जो उच्चाधिकारियों के आदेशों के प्रति प्रत्यर्थी कार्यालय की उदासीनता एवं लापरवाही का परिचायक है।
10. **अस्तु, अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है।**
11. प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के 15 दिवस में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांक दिनांकः 05.04.2022 के संबंध में अपीलार्थी को अभिलेख पर उपलब्ध **वांछित सूचनाएं नियमानुसार स्पष्ट रूप से अभिप्रमाणित कर निःशुल्क ही पंजीकृत पत्र** के माध्यम से उपलब्ध कराई जावे यदि सूचना अभिलेख पर उपलब्ध ना हो तो भी तदनुसार अपीलार्थी को सूचित करें।
12. यहाँ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की कठोरता, समयबद्धता से पालना के लिए जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे। RTI आवेदनों को विलम्बित नहीं किया जावे।
13. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
14. निर्णय घोषित ।

(इन्द्रजीत सिंह)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)

राजस्थान सरकार
अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर